

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला— जयपुर, थाना—प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष—2022
प्र0इ0रि0 सं. 259/22 दिनांक 28/6/2022
2. (i) अधिनियम... धारा 7 पी0सी0 (संशोधित)एक्ट 2018
(ii) *अधिनियम धारायें
(iii) * अधिनियम धारायें
(iv) * अन्य अधिनियम एवं धारायें
- (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 538 समय 7:00/m
- (ब) अपराध घटने का दिन सोमवार दिनांक 27.06.2022 समय 7.00 पी.एम
- (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक— लिखित
5. घटनास्थल :-एससी/एसटी सेल कार्यालय परिसर मोती डूंगरी अलवर
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब उत्तर-पूर्व करीब 150 किमी
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. (1)परिवादी /सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम— श्री अनिल जैन
(ब) पिता/पति का नाम— श्री रूपचंद जैन
(स) जन्म तिथी— उम्र— 62 साल
(द) राष्ट्रियता — भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय —
(ल) पता— 38/33, होली उपर, नाहरपुर हाउस के पास, कचहरी रोड, तबेले वाले
हनुमानजी के पास अलवर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : —
 1. श्री सहीराम पुत्र श्री शिब्बा सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट परमदरा,
पुलिस थाना खोह, तहसील डीग, जिला भरतपुर हाल कानि0 2121 पुलिस थाना
कोतवाली अलवर
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो
अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य— 25000/- रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना
लगायें):-

दिनांक 25.06.2022 को समय करीब 8.32 ए.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने जरिये मोबाईल मुझ उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक को बताया कि मुख्यालय की हैल्पलाइन 1064 से सूचना प्राप्त हुई है कि अलवर निवासी श्री अनिल जैन मोबाईल नम्बर 7665928036 से जिला अलवर में उनके परिजनों के विरुद्ध दर्ज एससी/एसटी के प्रकरण में एफ.आर. लगवाने के लिए थाना कोतवाली के कानिस्टेबल द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। हैल्पलाइन 1064 द्वारा प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु उनके द्वारा श्री अनिल जैन से वार्ता की है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अधिकृत किया एवं परिवादी श्री अनिल जैन के मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाये। इसके पश्चात् समय 9.08 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अनिल जैन से जरिये मोबाइल वार्ता की तो श्री अनिल जैन ने अवगत कराया कि मेरे पुत्रों के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज है, जिसमें एफ.आर. लगवाने के लिए थाना कोतवाली के कानिस्टेबल सहीराम गुर्जर द्वारा मेरे से 50000

रूपये की मांग की जा रही है। मैं सहीराम गुर्जर को रिश्वत नहीं देना चाहता तथा उसे रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूँ इसलिए मैंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हैल्पलाईन नम्बर 1064 पर कॉल किया था। मैं सिनियर सिटीजन होने के कारण जयपुर उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। इस पर प्राप्त सूचना एवं परिवादी अनिल जैन से की गई वार्ता के अनुरूप मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी की संदिग्ध कर्मचारी से मांग सत्यापन वार्ता करवाया जाना आवश्यक होने से श्री अनिल जैन को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अवगत कराया कि आपके पास ब्यूरो कर्मचारी अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। इसके पश्चात् समय 9.20 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय के श्री अशोक कुमार कानि0 99 को जरिये मोबाइल परिवादी श्री अनिल जैन से प्राप्त सूचना/शिकायत के संदर्भ में अवगत कराया एवं निर्देशित किया कि आप कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री अनिल जैन मोबाइल नम्बर 7665928036 के पास अलवर जाकर परिवादी की संदिग्ध कर्मचारी से सत्यापन वार्ता कराकर अवगत करावे। इसके पश्चात् समय करीब 10.20 ए.एम. पर श्री अशोक कुमार कानि. ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाइल अवगत कराया कि निर्देशानुसार मैंने कार्यालय पहुंचकर विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को निकालकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर मांग सत्यापन की अग्रिम कार्यवाही हेतु अलवर रवाना हो रहा हूँ। इस मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अशोक कानि को पुनः मुनासिब हिदायत की गई। इसके पश्चात् समय 4.25 पी.एम. पर अशोक कुमार कानि. ने जरिये मोबाइल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि निर्देशानुसार रवाना होकर करीब 3.00 पी.एम. पर बस स्टेड अलवर पहुंचा व परिवादी श्री अनिल जैन से उसके मोबाइल पर सम्पर्क किया जिस पर परिवादी श्री अनिल जैन बस स्टेड अलवर पर मेरे पास उपस्थित आये एवं श्री अनिल जैन ने मुझे बताया कि थाना कोतवाली पर मेरे पुत्रों एवं परिजनों के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट का एक प्रकरण दर्ज है। जिसकी जांच उपअधीक्षक पुलिस कर रहे है। इस प्रकरण में एफ.आर. लगवाने के लिए थाना कोतवाली के कानिस्टेबल सहीराम गुर्जर द्वारा मेरे से रिश्वत की मांग की जा रही है। मैं सहीराम कानिस्टेबल को रिश्वत नहीं देना चाहता और उसे रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूँ। इस संदर्भ में अनिल जैन ने स्वयं का हस्त लिखित प्रार्थना पत्र व आई.डी. प्रस्तुत की। इसके उपरान्त मन कानिस्टेबल परिवादी के साथ पुलिस थाना कोतवाली से कुछ पहले पहुंचकर परिवादी श्री अनिल जैन को अपने पास से विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकाल कर इस्तेमाली विधि समझाईस कर समय करीब 3.49 पी.एम. पर रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना कोतवाली जाकर संदिग्ध कर्मचारी से अपने कार्य की वार्ता करने हेतु रवाना किया व स्वयं की उपस्थित छुपाते हुये मुक़ीम हुआ। करीब आधा घंटे पश्चात परिवादी अनिल जैन मन कानि. के पास उपस्थित आया जिससे मन कानि. ने वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया व परिवादी अनिल जैन ने बताया कि मैं थाना कोतवाली में सहीराम गुर्जर कानि. के पास गया जिसने मेरे परिजनों के विरुद्ध एफ.आर. लगवाने के लिए वार्ता कर 50000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है तथा रिश्वत प्राप्ति हेतु दिनांक 27.06.2022 सोमवार का दिन निश्चित किया है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अनिल जैन से वार्ता की तो उसके द्वारा अशोक कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताइद की। श्री अनिल जैन को गोपनीयता बरतने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संदिग्ध कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर नियत दिन सोमवार दिनांक 27.06.2022 को उपलब्ध रहने की हिदायत की तथा अशोक कुमार कानि0 को मय वॉयस रिकॉर्डर, परिवादी के प्रार्थना पत्र व आई.डी. के मुख्यालय पहुंचने की हिदायत की। दिनांक 26.06.2022 को समय 1.00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस उपस्थित कार्यालय आया एवं श्री अशोक कुमार कानि. भी उपस्थित कार्यालय आया एवं विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, परिवादी का प्रार्थना एवं परिवादी की आई.डी. को सुपुर्द कर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आपके निर्देशानुसार दिनांक 25.06.2022 को बाद मांग सत्यापन जिला अलवर से रवाना होकर कार्यालय पहुंचा एवं विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, परिवादी का प्रार्थना पत्र व आई.डी. को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रख दिया था जो मैं आज आपको पेश कर रहा हूँ। इस पर मन उप पुलिस अधीक्षक ने अशोक कुमार कानि. द्वारा पेश परिवादी श्री अनिल जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन निवासी कचहरी रोड होली उपर तबेले वाले हनुमान जी के पास अलवर राजस्थान के प्रार्थना पत्र व आई.डी. का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में परिवादी द्वारा दर्ज किया गया है कि मेरे पुत्रों आकाश जैन व विकास जैन के खिलाफ थाना कोतवाली अलवर मे देवीसहाय जाटव ने एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा रखा है जिसकी जांच हरिसिंह धायल डिप्टी साहब कर रहे है। थाना कोतवाली का कान्सटेबल सहीराम गुर्जर मेरे से इस मुकदमे मे एफआर दिलवाने के लिए 50 हजार रूपये रिश्वतकी मांग कर रहा है। देवीसहाय ने पहले भी थाना कोतवाली मे मेरे परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी जिसकी जांच सहीराम कानिस्टेबल ने करके 107, 116 की कार्यवाही की थी। सहीराम ने पहले भी मेरी

जांच देवीसहाय की रिपोर्ट पर की थी इन जांचों में सहीराम ने मेरे से 30 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। अब कोर्ट के आदेश से थाना कोतवाली पर दर्ज एससी/एसटी के मुकदमें की जांच डिप्टी साहब कर रहे हैं। इस मुकदमें में एफआर लगवाने के लिए सहीराम कानिस्टेबल थाना कोतवाली मेरे से 50 हजार की रिश्वत मांग रहा है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता और सहीराम गुर्जर को पकड़वाना चाहता हूँ। सहीराम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और नहीं कोई लेनदेन बाकी है। एसडी अनिल जैन, अनिल जैन पुत्र श्री रूपचंद जैन, कचहरी रोड, होली उपर, नियर तबेले वाले हनुमानजी अलवर राज0 मोबाईल 7665928036, 7568765679। परिवारी अनिल जैन का प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया एवं विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवारी व संदिग्ध सहीराम कानि. के मध्य मांग सत्यापन वार्ता के दौरान हुई वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता के अनुसार संदिग्ध कर्मचारी सहीराम कानिस्टेबल द्वारा परिवारी से उसके परिजनों के विरुद्ध दर्ज एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण के संदर्भ में विस्तृत वार्ता कर प्रकरण में एफआर लगवाने के लिए बतौर रिश्वत 50000 रुपये की मांग किया जाना पाया गया एवं रिश्वत लेन देन हेतु सोमवार दिनांक 27.06.2022 का दिन निश्चित किया गया है। रिकॉर्डर ऑफ कर सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात् तलबिदा स्वतंत्र गवाह श्री नमोनारायण मीना पुत्र श्री पूरण मल मीना जाति मीना उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट पुरोहितों का बास तहसील व जिला दोसा हाल फायरमैन एफ-1 अग्निशमन कार्यालय इन्डस्ट्रीयल एरिया मालवीय नगर जयपुर एवं श्री सीताराम पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति रेगर उम्र 41 साल निवासी बी-4 चित्रकुट विहार टिलावाल जगतपुरा जयपुर हाल वाहन चालक एफ-1 अग्निशमन कार्यालय इन्डस्ट्रीयल एरिया मालवीय नगर जयपुर उपस्थित आये जिनसे ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल होने की सहमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27.06.2022 को प्रातः 5.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत किया एवं यूनिट जाप्ते को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रातः 5.30 ए.एम. पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया तथा परिवारी श्री अनिल जैन को कल दिनांक 27.06.2022 को प्रातः अग्रिम कार्यवाही हेतु अलवर पहुंचने के बारे में बताया। दिनांक 27.06.2022 को समय 6.15 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्रीमति प्रीति चेची, श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक, अशोक कानि0 99, राजेन्द्र सिंह कानि 55, विरेन्द्र कानि0 66, श्री सफी मोहम्मद 173, विरेन्द्र वरिष्ठ सहायक, स्वतंत्र गवाहान श्री नमोनारायण, श्री सीताराम मय सरकारी वाहनों, मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व फिनोपथलीन पाउडर जो अलग बैग में रखवाया गया, के वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 9.32 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अलवर पहुंचा व परिवारी श्री अनिल जैन को उनके मोबाईल पर सम्पर्क किया तो श्री अनिल जैन ने बताया कि मैंने स्टेशन रोड पर होटल रिलेक्स में मेरे नाम से कमरा बुक कर रखा है, आप अग्रिम कार्यवाही हेतु होटल रिलेक्स पर ही आ जाये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सफी मोहम्मद कानि0 173, श्री अशोक कानि0 99, विरेन्द्र कानि0 66, स्वतंत्र गवाह श्री सीताराम, श्री नमोनारायण के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, फिनोपथलीन शिशी का बैग के होटल रिलेक्स, एरोड्रम रोड स्टेशन के पास, अलवर के लिए रवाना हुआ एवं शेष हमराहियान जाप्ते को आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम होने की हिदायत दी गई। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान व साजो सामान के होटल रिलेक्स, एरोडराम रोड, रेल्वे स्टेशन के पास अलवर पर पहुंचा, जहां पर परिवारी श्री अनिल जैन उपस्थित मिले जिन्होंने मन उप अधीक्षक को बताया कि होटल में कमरा नम्बर 205 मैंने मेरे नाम से ले रखा है, जिस पर मन उप अधीक्षक मय उपरोक्त के होटल के कमरा नम्बर 205 में पहुंचा। इसके पश्चात् परिवारी श्री अनिल जैन का उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री सीताराम, श्री नमोनारायण से परिचय करवाया एवं गवाहान को बताया कि यह श्री अनिल जैन है जिनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र गवाहान को पढवाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये एवं उपस्थित गवाहान को मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवारी की उपस्थिति में बताया कि श्री अनिल जैन ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2022 को दिया था, जिस पर श्री अनिल जैन की संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाई गयी थी जिसमें संदिग्ध कर्मचारी श्री सहीराम कानि0 थाना कोतवाली अलवर में परिवारी श्री अनिल जैन से 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की है जो विभागीय डिजिटल वॉयस रिकार्डर में दर्ज है इसके उपरान्त परिवारी श्री अनिल जैन की उपस्थिति में मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के पास डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर गवाहान को सुनाया गया जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टी हुई, उक्त वार्ता में दर्ज वार्ता की पहचान परिवारी श्री अनिल जैन ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री सहीराम कानि0 की होने की ताईद की। उक्त वॉयस रिकार्डर वार्ता सुनाने के बाद बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। इसके बाद परिवारी श्री अनिल जैन को मुताबिक सत्यापन वार्ता संदिग्ध कर्मचारी श्री सहीराम कानि0 को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने को कहा तो श्री अनिल जैन ने बताया कि मेरे पास अभी 25000 रुपये की ही व्यवस्था हो पाई है, इससे अधिक राशि की व्यवस्था मैं नहीं कर पाया। मैं 25,000 रुपये लेकर

सहीराम कानि० के पास जाउंगा तो वह मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इसके पश्चात् समय 10.45 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अनिल जैन को संदिग्ध आरोपी श्री सहीराम कानि० को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री अनिल जैन ने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रूपये निकाल कर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर उक्त नोटों के नम्बर मन उप अधीक्षक पुलिस एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर सही पाये गये। श्री सफी मोहम्मद कानि० 173 से एक अलग बैग में से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा होटल रिलेक्स अलवर के कमरा नम्बर 205 में एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोटों कुल 25,000/- रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री सफी मोहम्मद कानि 173 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अनिल जैन की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नमोनारायण मीणा से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नहीं रहने दी गयी। तत्पश्चात् परिवादी श्री अनिल जैन की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री सफी मोहम्मद कानि० 173 से रखवाया गया। श्री सफी मोहम्मद कानि० 173 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी अलग बैग में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को नष्ट किया गया। उसके पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात् उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री सफी मोहम्मद कानि० 173 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी श्री अनिल जैन एवं स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। तत्पश्चात् परिवादी श्री अनिल जैन को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मो० नं० 8386050807 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात् गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का यथा-सम्भव प्रयास करें। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया, श्री सफी मोहम्मद कानि० 173 के दोनों हाथों व गिलास को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैंने भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबोक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी श्री अनिल जैन को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री अनिल जैन को रिश्वती राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी तथा श्री सफी मोहम्मद कानि० 173 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त शिशि के बैग के मौके पर आवश्यक हिदायत देकर छोडा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री अनिल जैन ने बताया कि श्री सहीराम गुर्जर ने मुझे कहा था कि सोमवार को आपके पास राशि की व्यवस्था हो जाये तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं आपको बता दुंगा कि अपन कहां मिलेंगे। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु समय 12.05. पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल जैन के मोबाईल से संदिग्ध कर्मचारी श्री सहीराम के मोबाईल नम्बर 9694401462 पर कॉल करवाया तो संदिग्ध कर्मचारी सहीराम ने बताया कि मैं अभी कम्पनी बाग में किसी रैली में ड्यूटी में हूँ, आप कम्पनी बाग आकर मुझे कॉल कर लेना। इस पर पृथक से मुकीम हमराहियान श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक, श्रीमति प्रीति चेची पुलिस निरीक्षक, राजेन्द्रसिंह कानि विरेन्द्र वरिष्ठ सहायक, मय वाहन सरकारी व चालकों को स्वयं के पास तलब किया। समय 12.40 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहान, हमराहियान जाब्ता परिवादी श्री अनिल जैन के मय सरकारी वाहन व परिवादी की स्कुटी से रवाना होकर कम्पनी बाग से करीब 200 मीटर से पहले नंगली सर्किल के पास पहुंचे व श्री अशोक कानि० 99 के साथ परिवादी को वॉयस रिकार्डर चालु कर वार्ता रिकार्ड करने हेतु सुपर्द कर निर्धारित ईशारा करने हेतु परिवादी के स्कुटी से सांकेतिक स्थल कम्पनी बाग पर संदिग्ध आरोपी के पास रवाना किया व परिवादी के पीछे पीछे उचित दुरी

बनाते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान सीताराम, नमोनारायण व जाब्ले के संदिग्ध आरोपी द्वारा बताये गये सांकेतिक स्थल कम्पनी बाग रवाना होकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कम्पनी बाग अलवर के मुख्य गेट के पास पहुंच कर अपनी स्वयं व गवाहान, हमराहियान जाब्ले की उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। कम्पनी बाग के मुख्य गेट के सामने सरस डेयरी के पास परिवादी अनिल जैन खडे हुये दिख रहे है, जो मोबाईल पर वार्ता करते हुये नजर आये, सम्भवतः आरोपी सहीराम से बात करके आरोपी को स्वयं के पहुंचने व अपने पास आने का कॉल कर रहे थे। कुछ समय पश्चात् परिवादी अनिल जैन के पास एक मोटरसाईकिल पर बावर्दी एक व्यक्ति आया जिससे परिवादी अनिल जैन वार्ता करते हुये दिख रहे थे, बावर्दी पुलिसकर्मी अनिल जैन से मोटरसाईकिल पर बैठे बैठे ही चार पांच मिनट वार्ता करने के उपरान्त मोटरसाईकिल से वापिस रवाना हो गया, परिवादी अनिल जैन द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध मे कोई ईशारा नही किया गया एवं वहां से पैदल पैदल परिवादी अनिल जैन आगे की तरफ जाते हुये दिखाई दिये जिसके पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान के पैदल पैदल रवाना हुआ, कुछ दुरी पर जाने पर अनिल जैन के पास पहुंचने पर परिवादी श्री अनिल जैन से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपनी सुपुर्दगी मे लेने के उपरान्त श्री अनिल जैन ने बताया कि बावर्दी व्यक्ति श्री सहीराम गुर्जर कानि था जो मेरे पास आया और मेरी रिश्वत राशि के बारे मे सहीराम से वार्ता हुई, मैने सहीराम को बताया कि अभी मेरे पास 25000 रुपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था हुई है, बाकी मैं बाद मे कर दुंगा इस पर सहीराम गुर्जर ने आसपास चारो तरफ देखा और आम रोड व लोगो की आवाजाही होने के कारण सहीराम गुर्जर ने हिचकिचाहट के कारण मेरे से रिश्वत राशि नही ली और मुझे कहा कि मैं यहां आपसे रुपये नही लुंगा, बाद मे आपको कॉल करके बुलाता हूं। इस पर अनिल जैन से प्राप्त वॉयस रिकार्डर परिवादी व गवाहान की उपस्थिति मे ऑन करके सुना तो रिकार्डर मे परिवादी व सहीराम गुर्जर की वार्ता परिवादी के बतायेनुसार दर्ज होना पाया गया। इसके उपरान्त हमराहियान जाब्ले गवाहान व परिवादी को लेकर कम्पनी बाग से रवाना होकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ला, स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के रेल्वे स्टेशन के बाहर पहुंच कर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी सहीराम गुर्जर के परिवादी के पास कॉल आने के इन्तजार मे मुकीम हुये। संदिग्ध आरोपी का परिवादी के पास कोई कॉल नही आने पर परिवादी अनिल जैन के मोबाईल फोन से संदिग्ध आरोपी सहीराम गुर्जर के मोबाईल नम्बर 9694401462 पर समय 3.10 पी.एम. पर वार्ता करवाई तो आरोपी सहीराम ने कॉल नही उठाया जिस पर पुनः संदिग्ध आरोपी के कॉल के इन्तजार मे मुकीम हुये। समय 4.55 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपी सहीराम गुर्जर का वाटसप कॉल परिवादी के मोबाईल पर आने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के मोबाईल से सहीराम गुर्जर के मोबाईल पर समय 4:57 पी.एम. पर वाटसअप कॉल करवाया गया व उक्त वाटसअप कॉल को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे वार्ता रिकार्ड की गई। उक्त वार्ता मे संदिग्ध कर्मचारी श्री सहीराम गुर्जर ने परिवादी से वार्ता कर पुछा कि आप कहां हो तो परिवादी अनिल जैन ने रेल्वे स्टेशन होने व अपनी पत्नी का टिकट कराने की बात कही तो संदिग्ध सहीराम गुर्जर ने परिवादी को कहा कि आप फि होकर थाना कोतवाली आ जाओ, मैं थाने पर ही हूं, फि होकर कॉल कर लेना। समय 5.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध आरोपी सहीराम गुर्जर द्वारा परिवादी को बताये गये सांकेतिक स्थल थाना कोतवाली अलवर के लिए अशोक कानि0 99 के साथ मय वॉयस रिकार्डर के परिवादी की स्कुटी से मुनासिब हिदायत कर रवाना किया तथा इनके पीछे पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ले के रेल्वे स्टेशन से रवाना होकर भगत सिंह सर्किल अलवर के पास पहुंचे एवं समय 06.05 पीएम पर परिवादी के मोबाईल से सहीराम गुर्जर के मोबाईल नम्बर 9694401462 पर कॉल करवाया तो सहीराम गुर्जर को परिवादी अनिल जैन ने कहा कि मैं भगत सिंह सर्किल पर आ गया हूं, आप यहीं आ जाओ तो संदिग्ध सहीराम गुर्जर ने कहा कि मैं अभी कटिंग करवा रहा हूं फि होकर आपको कॉल करता हूं। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ला, गवाहान, परिवादी के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी के कॉल के इन्तजार मे मुकीम हुये। समय 6.24 पी.एम. पर परिवादी अनिल जैन के मोबाईल पर गवाहान की उपस्थिति मे संदिग्ध आरोपी सहीराम गुर्जर का वाटसअप कॉल आया जिसमे सहीराम गुर्जर ने परिवादी अनिल जैन को कहा कि जैन साहब आप मेरे कमरे पर आ जाओ मैं दस मिनट मे पहुंच जाउंगा। इस पर परिवादी श्री अनिल जैन ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि सहीराम गुर्जर रिश्वत प्राप्ति के लिए मुझे अपने कमरे पर बुला रहा है, सहीराम गुर्जर का कमरा जो मोतीडुंगरी पर डिप्टी साहब एससी/एसटी सैल के कार्यालय परिसर मे स्थित है जिसमे वह रहता है, यह कमरा मैं जानता हूं क्योंकि पहले भी मैं सहीराम गुर्जर से इस कमरे पर मिला था। इस पर मन उप अधीक्षक मय जाब्ला, गवाहान, परिवादी के भगत सिंह सर्किल से रवाना होकर परिवादी के बतायेनुसार एसएमडी सर्किल अलवर से आगे पहुंचे। समय 6.

45 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अनिल जैन को संदिग्ध कर्मचारी सहीराम गुर्जर के मोतीडुंगरी स्थित कमरे पर खाना करने से पूर्व हिदायत की कि आप अपनी स्कुटी से आगे आगे चलकर संदिग्ध आरोपी सहीराम के कमरे पर जाना, हम आपके पीछे पीछे आकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम करेगे व परिवादी को हिदायत की गई कि जब सहीराम आपसे रिश्वत राशि प्राप्त कर ले तो आप अपने मोबाईल से मिसकॉल करके अथवा आपके गले में पहने हुये गमछे को गले से उतार कर हाथ में लेकर रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित इशारा कर देना। परिवादी अनिल जैन को डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुपुर्द कर स्वयं की स्कुटी से संदिग्ध आरोपी सहीराम गुर्जर के पास खाना किया जो एसएमडी सर्किल से मोतीडुंगरी की तरफ खाना हुआ जिसके पीछे पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों गवाहान, जाब्ता सरकारी वाहनों से उचित दुरी बनाते हुये खाना हुये तथा परिवादी अनिल जैन करीब आधा किमी चलने के उपरान्त मोतीडुंगरी पर एक परिसर के लोहे के गेट में स्कुटी से प्रवेश कर गेट से बांयी तरफ बने कमरों की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया जहां पर स्कुटी रोककर परिवादी अनिल जैन एक 30-32 वर्षीय एक व्यक्ति के पास स्कुटी से उतर कर बातचीत करता हुआ उसके साथ एक कमरे में जाता हुआ दिखाई दिया। यह परिसर मन उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सैल कार्यालय व अन्य पुलिस कार्यालय एवं आवासीय कमरों का है जिसके बाहर मन उप अधीक्षक पुलिस व गवाहान तथा जाब्ता, वाहनों को कुछ दुरी पर खड़ा कर परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकीम हुये। परिवादी श्री अनिल जैन ने समय 07.00 पी.एम. पर एससी/एसटी सैल कार्यालय अलवर परिसर में बने एक कमरे में से बाहर निकल कर अपने गले से गमछा उतार कर रिश्वत लेने का नियत इशारा किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एससीबी जाप्ता के एससी/एसटी कार्यालय के परिसर में खड़े परिवादी श्री अनिल जैन के पास पहुंचा तो वहां परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री अनिल जैन ने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि यह सहीराम कानि० है जिसने मेरे से अभी अभी अपने कमरे में रिश्वत के 25000 रुपये अपने दोनों हाथों से प्राप्त कर कमरे में रखे बैड के उपर बिछी चदर के निचे गदे पर रख दिये हैं, इस पर परिवादी के पास खड़े व्यक्ति को हमराह जाप्ता की मदद से उसका दाहिना हाथ श्री विरेन्द्र कानि० 66 व बांया हाथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि० 55 से पकड़वाया जाकर परिवादी के बतायेनुसार कमरे में ले जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व स्वतंत्र गवाहान व एससीबी जाब्ता का परिचय देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सहीराम पुत्र श्री शिब्बा सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट परमदरा, पुलिस थाना खोह, तहसील डीग, जिला भरतपुर हाल कानि० 2121 पुलिस थाना कोतवाली अलवर होना बताया। आरोपी श्री सहीराम कानि० 2121 से परिवादी श्री अनिल जैन से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 25,000/- रुपये के बारे में पूछा तो आरोपी सहीराम ने परिवादी की ओर इशारा करके कहा कि इसने अभी अभी इस चदर के निचे 25000 रुपये रखे हैं, इसने कहा था कि मेरे खिलाफ एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज है उसमें मेरी मदद करो तथा सहीराम ने उपरोक्त कमरे में स्वयं का रहना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने सहीराम कानि से पूछा कि यह रुपये आपने स्वयं के लिए लिये हैं या किसी अन्य का भी हिस्सा है तो आरोपी सहीराम कानि० ने कहा कि इसके बारे में सीओ साहब के रीडर श्री नरेन्द्र को पता है जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री सहीराम से कहा कि रीडर नरेन्द्र से फोन पर बात करो तो सहीराम ने कहा कि वो फोन पर इस संबंध में मेरे से बात नहीं करेगा व ना ही मैं उससे फोन पर बात करूंगा। तत्पश्चात परिवादी श्री अनिल जैन ने बताया कि मेरे परिजनों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली अलवर में दर्ज है जिसकी जांच डिप्टी साहब एससी/एसटी सैल अलवर कर रहे हैं, जिसमें एफआर लगवाने के लिए सहीराम कानि० ने मुझसे 50,000 रुपये रिश्वत के मांगे थे और इनकी मांग की अनुसरण में 25000 रुपये रिश्वत के इनको आज इनके कमरे पर दिये हैं, तथा थाना कोतवाली अलवर में मेरे परिजनों के खिलाफ 107, 116 सीआरपीसी की जांच भी श्री सहीराम कानि० कर रहे हैं। तत्पश्चात परिवादी अनिल जैन व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास में स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी सहीराम कानि० के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शीशियों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी अनिल जैन तथा आरोपी श्री सहीराम कानि० के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास में स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण

तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी सहीराम के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा डालकर शीशियों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री अनिल जैन तथा आरोपी श्री सहीराम कानि० के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री नमोनारायण से आरोपी के बतायेनुसार उसके कमरे में रखे बैड पर बिछी चदर के निचे से रखे 500-500 के नोटों को उठवाकर गिनवाया तो पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोटों के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बर हुबहु मिलान होना बताया। बरामद शुदा पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री सहीराम कानि० के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी के कमरे में रखे बैड जिस पर चदर के निचे गदें पर जिस स्थान पर रिश्वती राशि रखी हुई थी, उस स्थान को रूई के फोहे की सहायता से रगड़ कर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील मोहर कर मार्क बी-1, बी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए०सी०बी० लिया गया। तत्पश्चात् रूई के फोहे को सुखवाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-बी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री सहीराम कानि० की तलाशी गवाह श्री नमोनारायण से लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई लोवर की सामने की जेब में एक पर्स मिला जिसमें 14400/- रूपये नगद व एक मोबाईल सैमसंग कंपनी का मय दो सिम दोनों जियो कंपनी जिनके मोबाईल नम्बर 9694401462 व 8209953771 है, मिला। उपरोक्त नगद 14400 रूपये के बारे में आरोपी सहीराम कानि० ने बताया कि मेरा छोटा भाई तुहीराम जयपुर में रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसकी फीस के लिए जयपुर भिजवाना था, यह मेरे वेतन के रूपये है। आरोपी सहीराम कानि का 14400 रूपये जो घटनाक्रम से संबंधित नहीं है के संन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत पाया गया। अतः जामा तलाशी में मिले एक मोबाईल सैमसंग कंपनी का मय दो सिम दोनों जियो कंपनी जिनके मोबाईल नम्बर 9694401462 व 8209953771 को जब्त कर कब्जा एसीबी लिया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। आरोपी सहीराम कानि० द्वारा परिवादी अनिल जैन से उसके पुत्रों के विरुद्ध थाना कोतवाली अलवर में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण जिसकी जांच सीओ एससी/एसटी सैल अलवर द्वारा की जा रही है, के संन्दर्भ में कार्यालय सीओ एससी/एसटी सैल अलवर से जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त प्रकरण संख्या 556/2022 होना ज्ञात हुआ, जिसकी पत्रावली की सत्यप्रति पृथक से प्राप्त की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सहीराम कानि० 2121 पुलिस थाना कोतवाली, अलवर के द्वारा परिवादी श्री अनिल जैन के पुत्रों के खिलाफ थाना कोतवाली अलवर में एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे में एफआर लगवाने की ऐवज में 50000/-रूपये की रिश्वत की मांग कर मांग के अनुसरण में आज परिवादी श्री अनिल जैन से 25000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने से सहीराम कानि० 2121 थाना कोतवाली अलवर के विरुद्ध अपराध धारा 7, पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। इसके बाद आरोपी सहीराम कानि. को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत जरिये फर्द पूछा गया तो सहीराम कानि० ने अपनी आवाज का नमूना नहीं देने के सन्दर्भ में लिखित में इन्कार किया। समय 9.10 पी.एम. आरोपी सहीराम कानि. पुलिस थाना कोतवाली अलवर को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् समय 9.30 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल जैन को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.06.2022 को प्रातः 06 एएम पर अन्वेषण भवन अलवर उपस्थित होने हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ला, गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी सहीराम कानि० के मय फर्दात, जब्तशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेपबॉक्स मय प्रिन्टर, लेपटॉप, सरकारी वाहनो व चालको के मौके से अन्वेषण भवन अलवर के लिए रवाना

होकर अन्वेषण भवन अलवर पहुंचा तथा जब्तशुदा आर्टिकल्स, फर्दात, वॉयस रिकॉर्डर व रिकार्ड को स्वयं के पास सुरक्षित रखा। दिनांक 28.06.2022 को परिवादी के उपस्थित कार्यालय आने पर समय 6.15 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाह श्री नमोनारायण व सीताराम तथा परिवादी श्री अनिल जैन की उपस्थिति में स्वयं के पास सुरक्षित रखा वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी अनिल जैन व आरोपी सहीराम कानि के मध्य दिनांक 25.06.2022 की मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 27.06.2022 को रिश्वत लेनदेन व उससे सम्बद्ध वार्ताएं दर्ज हैं को निकाल कर वॉयस रिकार्डर चालु कर उक्त वार्ताओं को लेपटॉप की सहायता से गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में सुना गया तो वार्ताओं में परिवादी अनिल जैन ने गवाहान की उपस्थिति में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी सहीराम कानि की पहचान की। सम्पूर्ण वार्ताओं की शब्दबशब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में दर्ज वार्ताओं की लेपटॉप की सहायता से पांच सीडी तैयार कर मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 दिया गया। सीडी मार्क A-1 व A-2 को प्लास्टिक कवर में रखकर कपड़े की थैली में रखकर शिल्डमोहर किया गया व मार्क A-3, A-4 व A-5 को क्रमशः अनुसंधान अधिकारी, एडीपी, आरोपी को आरोप पत्र के साथ दिये जाने हेतु खुली रखी गई। सम्पूर्ण प्रक्रिया की फर्द तैयार कर फर्द एवं सिडियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। घटना स्थल का नक्शामौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी श्री अनिल जैन की दिनांक 27.06.2022 को आरोपी सहीराम कानि से 04.57 पीएम व 06.24 पीएम पर हुई वाट्सअप कॉल का स्क्रीन शॉट मोबाईल से प्राप्त कर उसका प्रिन्ट लेकर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।


इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से स्पष्ट है कि आरोपी श्री सहीराम कानि 0 2121 पुलिस थाना कोतवाली, अलवर के द्वारा परिवादी श्री अनिल जैन के पुत्रों के खिलाफ थाना कोतवाली अलवर में एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण संख्या 556/2022 में एफआर लगवाने की एवज में 50000/-रूपये की रिश्वत की मांग कर मांग के अनुसरण में आज परिवादी श्री अनिल जैन से 25000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई जो आरोपी के कमरों में रखे बैड पर बिछे गद्दे के उपर चद्दर के निचे से बरामद हुई जिससे सहीराम कानि 0 2121 थाना कोतवाली अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री सहीराम पुत्र श्री शिब्बा सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट परमदरा, पुलिस थाना खोह, तहसील डीग, जिला भरतपुर हाल कानि 0 2121 पुलिस थाना कोतवाली अलवर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अभिषेक पारीक)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अभिषेक पारीक, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सहीराम, कानि. नम्बर 2121, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 259/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2277-81 दिनांक 28.06.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।